भारतीय रिज़र्व बैंक

विदेशी मुद्रा विभाग

संकल्पना एवं उद्देश्य

और

नागरिक अधिकार पत्र

जनवरी **2010**

संकल्पना एवं उद्देश्य

भारतीय रिज़र्व बैंक

विदेशी मुद्रा विभाग

हमारी संकल्पना

- *विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के मूल उद्देश्य का पालन करने के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना;*
- *विदेश व्यापार और भुगतान सुगम बनाना और भारत में सुव्यवस्थित विदेशी मुद्रा बाजार विकसित करना तथा उसे कायम रखना ; और*
- *सक्रिय पूंजी खाता प्रबंध के अंग के रूप में विकसित हो रही समष्टि आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल तत्काल और अग्रसक्रिय नीति तैयार करना ।*

हमारा उद्देश्य

गतिशील बाजार और बाह्य विकास से निवासी और अनिवासी दोनों प्रयोक्ताओं की आवश्यकताओं को निम्नलिखित उपायों द्वारा प्रभावी ढँग से समाकलित करना :

- *प्रयोक्ता के अनुकूल जो भाषा है उसमें नियम और विनियम तैयार करना तथा उसका प्रसारण करना ;*
- *नपे-तुले तरीके से पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता की ओर बढ़ना;*
- *निवासी व्यक्तियों /संस्थाओं की आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान देते हुए उन्हें पूरा करने के लिए प्रयोक्ताओं के साथ लगातार संपर्क में रहना ;*
- *अत्यधिक पारदर्शिता के साथ कारगर और कुशल ग्राहक सेवा प्रदान करना;*
- *प्राधिकृत व्यक्तियों को अधिकार देना और गतिविधियों के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए संवाहक (कॉन्ड्यूट) के रूप में उनकी भूमिका में विस्तार करना ;*
- *बेझिझक सीमा पार लेनदेन सुगम एवं सरल बनाना;*
- *गतिशीलता से प्रेरित नीति परिवर्तनों के लिए तत्काल आधार पर आँकड़े(डाटा) हासिल करना; और*
- *पारदर्शी तरीके से आधार सामग्री (डाटा) का प्रसारण ।*

नागरिक अधिकार पत्र

प्रस्तावना

नागरिक अधिकार पत्र में किसी संगठन के मानकों, गुणवत्ता, पारदर्शिता और प्रदान की गयी सेवाओं की जिम्मेदारी के संबंध में प्रतिबध्दता प्रतिबिंबित होती है और ये अधिकार अत्यंत प्रभावी शिकायत निवारण व्यवस्था के रूप में कार्य करते हैं । नागरिक अधिकार पत्र का मुख्य उद्देश्य ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाना है । भारतीय रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग का ' नागरिक-अधिकार पत्र ', विदेशी मुद्रा विनिमय के मुख्य कार्यों और विदेशी मुद्रा के क्षेत्र में ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से नागरिकों को उपलब्ध राहतों पर प्रकाश डालते हैं । यह अधिकार-पत्र कोई नए कानूनी अधिकार नहीं देता है बल्कि मौजूदा अधिकारों को प्रबलता प्रदान करता है ।

2. 1 जून 2000 से पूर्ववर्ती विदेशी मुद्रा नियंत्रण अधिनियम, 1973 (फेरा) के स्थान पर विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) ने ले लिया है। विदेशी मुद्रा नियंत्रण अधिनियम, 1973 (फेरा) का उद्देश्य,जैसा कि उसकी प्रस्तावना में निहित है,विदेशी मुद्रा सुरक्षित रखना और उसका देश के आर्थिक विकास के लिए उपयोग करना था । जब कि फेमा का उद्देश्य " विदेश व्यापार और भुगतान को सुगम बनाना " और " भारत में सुव्यवस्थित विदेशी मुद्रा बाजार विकसित करना तथा उसे कायम रखना " है । नये कानून में मौजूदा आर्थिक यथार्थ की झलक दिखायी पड़ती है और उसका रवैया भी व्यावहारिक है । उद्देश्यों के परिवर्तन में भारतीय रिज़र्व बैंक का विदेशी मुद्रा विभाग जो विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम(फेमा) का संचालन करता है, के उद्देश्य प्रतिबिंबित होते हैं।

3. विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा)की एक मुख्य विशेषता चालू खाता परिवर्तनीयता को कानूनी आधार प्रदान करना है । विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा) के मूल उद्देश्यों के अनुसार, प्राधिकृत व्यक्तियों को विदेशी मुद्रा जारी करने के लिए ठोस अधिकार प्रदान किये गये हैं । चालू खाता लेनदेनों के अधिकांश मामलों में रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता नहीं है । विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियमावली, 2000 की सारणी -III में सूचीबध्द उन लेनदेनों के लिए रिज़र्व बैंक के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, जिनमें प्रेषण निर्धारित सीमा से अधिक हो । दूसेर शब्दों में, सभी चालू खाता लेनदेनों के लिए रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना विदेशी मुद्रा की खरीद निर्बाध रुप से की जा सकती है । ऐसे आवेदन-पत्रों

/स्पष्टीकरणों , जिन्हें अभी भी रिज़र्व बैंक को भेजना आवश्यक हैं, विदेशी मुद्रा विभाग उन पर तुरंत और यथाशीघ्र कार्रवाई करने का भी प्रयास करता है। इस प्रकार , विदेशी मुद्रा विभाग का उद्देश्य , मुंबई में अपने केंद्रीय कार्यालय के साथ -साथ 17 क्षेत्रीय कार्यालयों और नागपुर और श्रीनगर में कक्षों के जरिये कुशल ग्राहक सेवा प्रदान करना है ।

4. इस देश के निवासियों के रूप में, विदेशी मुद्रा विभाग का ' नागरिक-अधिकार पत्र ' आपको विदेशी मुद्रा के लेनदेनों से संबंधित आपके अधिकारों की निम्नलिखित छः खंडों में जानकारी देता है :

- परिदृश्य
- संगठनात्मक ढांचा
- कार्य
- आवेदनों के निपटान की समय-सीमा
- शिकायत निवारण
- सूचना प्रसारण

बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए आपके सुझावों का स्वागत है।

सलीम गंगाधरन
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

13 जनवरी 2010
भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय, मुंबई-400001.

विहंगावलोकन

विदेशी मुद्रा नियंत्रण अधिनियम,1973(फेरा) इस अधिनियम की जगह अब विदेशी मुद्रा अधिनियम आ गया है और भारत में विदेशी व्यापार तथा भुगतानों को सुगम बनाने और विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास के संवर्धन तथा बनाए रखने के उद्देश्य से उसे 01 जून 2000 से लागू कर दिया गया है ।

विदेशी मुद्रा अधिनियम (फेमा) के तहत लेनदेन, दो प्रमुख वर्गों- चालू खाता और पूँजी खाता लेनदेनों में विभक्त किए गए हैं । ऐसे लेनदेन जो कि भारत में रहने वाले वाले किसी व्यक्ति की भारत से बाहर की अथवा भारत से बाहर निवासी किसी व्यक्ति की भारत में परिसंपत्तियों /देयताओं सहित आकस्मिक देयताओं में फेर-बदल करती हैं उन्हें पूँजी खाता लेनदेनों की श्रेणी में रखा गया है और अन्य लेनदेन, चालू खाता लेनदेनों की श्रेणी में रखे गए हैं ।

चालू खाता लेनदेन

विदेशी मुद्रा अधिनियम (फेमा) के तहत, भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार को चालू खाता लेनदेनों पर विवेक सम्मत प्रतिबंध लगाने के अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारत सरकार ने चालू खाता लेनदेनों को नियंत्रित करने वाले (समय-समय पर यथा संशोधित, 3 मई 2000 की अधिसूचना सा.का.नि.सं.381(क) विदेशी मुद्रा अधिनियम (चालू खाता लेनदेन) नियमावली, 2000 अधिसूचित की है । विदेशी मुद्रा अधिनियम (चालू खाता लेनदेन) नियमावली, 2000 (विनियमावली) में चालू खाता विप्रेषणों को तीन श्रेणियों में रखा गया है :-

विप्रेषण

- **(i)** जो प्रतिबंधित हैं , उन्हें नियमावली की अनुसूची-I में रखा गया गया है।
- **(ii)** जिनके लिए भारत सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है ,उन्हें अनुसूची-II में रखा गया गया है;और
- **(iii)** जिनके लिए रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है, अर्थात् उन मामलों में जिनमे कि विप्रेषण की राशि निर्धारित सीमा से अधिक हो , उन्हें अनुसूची-III में रखा गया गया है ।

विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियमावली, 2000 के तहत, प्राधिकृत व्यापारियों को चालू खाता किस्म के विप्रेषणों की बिना किसी उलझाव के अनुमति प्रदान करने के अधिकार

दिये गये हैं । विदेशी मुद्रा अधिनियम के तहत प्राधिकृत व्यापारियों का निम्नवत् वर्गीकृत किया गया है :-

श्रेणी-I : इसमें बैंक शामिल है ।

श्रेणी-II : इसमें उन्नत संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक और अन्य संस्थाएं शामिल हैं ।

श्रेणी-III : इसमें सभी प्राधिकृत व्यापारी जिनमें कि चुनिंदा वित्तीय और अन्य संस्थाएं शामिल हैं ।

इसके अतिरिक्त, संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक जिनमें कि डाकघर, शहरी सहकारी बैंक और अन्य संस्थाएं शामिल हैं जिन्हें निजी /व्यापार के सिलसिले में की जाने वाली विदेश यात्राओं के प्रयोजन से विदेशी मुद्रा बेचने तथा खरीदने की अनुमति दी गई है ।

भारत में रहने वाले व्यक्ति,प्राधिकृत व्यक्तियों के जरिये विदेशी मुद्रा अधिनियम के तहत उपलब्ध सुविधाओं का उपभोग कर सकते हैं और इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक और एक सामान्य व्यक्ति के बीच प्रतिनिधि बन जाता है ।

पूँजी खाता लेनदेन

भारत सरकार के परामर्श से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा अधिनियम (फेमा) 1999 के तहत, पूँजी खाता लेनदेनों पर व्यापक, सरल और पारदर्शी विनियम अधिसूचित किये गए हैं । इन विनियमों में , पूँजी खाता लेनदेन के तहत अनुमत लेनदेनों के प्रकार, लेनदेन करने के लिए सरल प्रक्रिया और भारतीय रिज़र्व बैंक में जमा की जाने वाली विवरणियों का अलग से उल्लेख किया गया है । अपने ग्राहक की ओर से पूँजी खाता लेनदेन करने के लिए इन विनियमों में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किये गये हैं ।

कोई भी उदारीकरण तब तक पूरा नहीं हो सकता है जब तक कि सरल और पारदर्शी प्रक्रिया के जरिये ग्राहक अथवा उद्दिष्ट-उपयोगकर्ता की सुविधाओं तक पहुँच न हो । अत: सीमापार के लेनदेनों की प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में अनेक प्रयास किए गये हैं। वर्ष 2004 में श्री एस.एस.तारापोर की अध्यक्षता में सार्वजनिक सेवाओं की प्रक्रिया और कार्य-निष्पादन लेखा-परीक्षा समिति के गठन ने इस तरफ ध्यान दिया । समिति ने व्यक्तियों से संबंधित विदेशी मुद्रा लेनदेन पर अपनी रिपोर्ट में निवासी और अनिवासी व्यक्तियों दोनों के लिए ही सुविधाओं तथा प्रक्रिया के मूल्यांकन पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। पूर्ण परिवर्तनीयता पूँजी खाता पर

वर्ष 2006 में गठित समिति ने पूँजी खाता लेनदेनों की 1997 से समीक्षा की और पूँजी नियंत्रणों में क्रमिक रूप से और छूट देने की सिफारिश की है । इस समिति की बहुत सी सिफारिशें लागू की जा चुकी हैं । इन सिफारिशों के अनुसरण में, एक टास्क फोर्स का गठन किया गया जिसे पूँजी खाता और चालू खाता लेनदेनों के वर्तमान नियंत्रक ढाँचे की विसंगतियों की पहचान और विदेशी मुद्रा प्रबंध प्रणाली की उलझनों को समाप्त करने के लिए उपयुक्त सिफारिशें करने की जिम्मेदारी सौंपी गई जिससे कि उदारीकरण की प्रक्रिया और अधिक सार्थक तथा प्रयोक्ता-अनुकूल तरीके से आगे बढ़ायी जा सके । बाह्य लेनदेनों की प्रक्रिया के सरलीकरण पर टास्क फोर्स की सिफारिशें भी लागू की जा चुकी है ।

उल्लंघन के लिए कार्रवाई

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा) के अभिप्राय को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा),1999 की धारा 3(क) को छोड़कर सभी धाराओं के तहत उल्लंघन के मामलों में अधिनियम की धारा 15 के तहत रिज़र्व बैंक को कंपाउंडिंग की कार्रवाई करने के अधिकार प्रदान किए हैं। जानबूझकर, बदनीयती से और कपटपूर्ण किए गये लेनदेनों को गंभीरता से लेते हुए तथा उनकी लागत को कम करते हुए विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा) के तहत उल्लंघन के लिए कंपाउंडिंग की कार्रवाई पर व्यक्तियों और संस्थाओं को सहूलियत देने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक द्वारा 1 फरवरी 2005 को व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए गये हैं। कंपाउंडिंग की कार्रवाई के लिए अपेक्षित कागज़ात तथा उसके समर्थन में वांछित तथ्यों के साथ रु. 5000/- जमा करते हुए आवेदन पत्र देना होगा । अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों की अपेक्षानुसार, रिज़र्व बैंक में कंपाउंडिंग प्राधिकारी आवेदनपत्र की प्राप्ति की तारीख से 180 दिनों के भीतर आवेदन का निपटान करेगा ।

संगठनात्मक ढांचा

विदेशी मुद्रा का केंद्रीय कार्यालय मुंबई में है और वह फेमा के तहत नीतियाँ तथा क्रियाविधि निर्धारित करता है । केंद्रीय कार्यालय के साथ निम्नलिखित पते पर पत्राचार किया जा सकता है:

प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय, 11 वीं मंजिल

शहीद भगतसिह मार्ग
मुंबई 400001
फोन: 022-22610628 फैक्स:22610623
ईमेल: cgmincfed@rbi.org.in

विदेशी मुद्रा विभाग के 17 क्षेत्रीय कार्यालय और दो कक्ष हैं । इन कार्यालयों/कक्षों के संपर्क ब्योरे और अधिकार क्षेत्र निम्नवत् हैं :

कार्यालय	पता	अधिकार क्षेत्र	टेलीफोन सं.	फैक्स सं.	ई-मेल
अहमदाबाद	ला गज्जर चेंबर, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380009	गुजरात राज्य और दीव,दमन और दादरा नगर हवेली संघ शासित प्रदेश	079-26574886	079-26574887	fedahmedabad@rbi.org.in
बंगलुरु	10-3-8,नृपतुंगा रोड, पो.बा.सं. 5470, बंगलुरु-560001	कर्नाटक राज्य	080-22212339	080-22237882	fedbangalore@rbi.org.in
भोपाल	होशंगाबाद रोड,पो.बा.सं.32 भोपाल-462011	मध्य प्रदेश और छत्तीसगड राज्य	0755-2578295	0755-2551968	fedbhopal@rbi.org.in
भुवनेश्वर	पं. जवाहरलाल नेहरु मार्ग, पो.बा.सं. 16, भुवनेश्वर-751001	उडिसा राज्य	0674-2390910	0674-2395911	fedbhubaneswar@rbi.org.in
चंडीगढ़	टेलीफोन भवन के सामने, सेक्टर 17, चंडीगढ़-160017	हरियाना राज्य (फरिदाबाद,गुडगांव और सोनपत के जिलों को छोड़कर) हिमाचल प्रदेश और पंजाब और चंड़ीगढ़ का संघशासित प्रदेश	0172-2721417	0172-2723124	fedchandigarh@rbi.org.in
चेन्नई	फोर्ट ग्लासिस,सं.16,राजाजी	तमिलनाडू राज्य और पॉंडिचेरी का	044-25369045	044-25360912	fedchennai@rbi.org.in

	सालै,पो.बा.सं.40 चेन्नई-600001	संघशासित प्रदेश			
गुवाहाटी	स्टेशन रोड, पानबाजार,पो.बा. सं.120, गुवाहाटी-781001	अरुणाचल प्रदेश राज्य, असम, मनिपुर, मेघालय,मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा	0361-2541248	0361-2540033	fedguwahati@rbi.org.in
हैदराबाद	6-1-56,सैफाबाद, सचिवालय मार्ग,पो. बा.सं.31,हैदराबाद-500004	आंध्र प्रदेश राज्य	040-23237155	040-23212615	fedhyderabad@rbi.org.in
जयपुर	।।। मंजिल,टोंक रोड,रामबाग सर्कल के पास, पो.बा.सं.12, जयपुर-302052	राजस्थान राज्य	0141-2566296 0141-5113043 (उ.म.प्र.) 0141-2570536 (स.म.प्र.)	0141-2563016	fedjaipur@rbi.org.in
जम्मू	रेल हेड कॉम्प्लेक्स, जम्मू -180012	जम्मू एण्ड कश्मिर और लडाख डिविजन	0191-2471188	0191-2471188	fedjammu@rbi.org.in
कानपुर	एम.जी. रोड,पो.बा.सं.82 कानपुर-208001	गजियाबाद जिले में नोइडा और उत्तराखंड को छोड़कर उत्तर प्रदेश राज्य	0512-2311240	0512-2304100	fedkanpur@rbi.org.in
कोची	एर्नाकुलम नॉर्थ, डो.बा.सं.3065 कोची-682018	केरल राज्य और लक्षद्वीप का संघशासित प्रदेश	0484-2401153/ 0484-2402911	0484-2402715	fedkochi@rbi.org.in
कोलकत्ता	15, नेताजी सुभाष रोड, पो.बा.सं. 552,	सिक्कीम और पश्चिम बंगाल	033-22208343	033-22209589 अथवा	fedkolkata@rbi.org.in

	कोलकत्ता-700001	राज्य और अंदमान और निकोबार द्वीपों का संघशासित प्रदेश		22210218	
मुबई	सी-7, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा(पूर्व) मुंबई-400051	महाराष्ट्र राज्य	022-26572903	022-26572968/ 26572918	fedbkc@rbi.org.in
नयी दिल्ली	6, संसद मार्ग, नयी दिल्ली-110001	दिल्ली राज्य,हरियाणा राज्य के फरिदाबाद,गुड़गांव और सोनपत जिले तथा उ.प्र.के गजियाबाद जिले में नोइडा	011-23714341	011-23725234	fednewdelhi@rbi.org.in
पणजी	सेसा गोर, ब्लॉक सं. 3ए-3बी, पेटो प्लाजा,पो.बा.सं.20, पणजी(गोवा)-403001	गोवा राज्य	0832-243856	0832-243857	dgmpanaji@rbi.org.in
पटना	साउथ ऑफ गांधी मैदान,पो.बा.सं.162, पटना-800001	बिहार और झारखंड राज्य	0612-2323553	0612-2320407	fedpatana@rbi.org.in
नागपुर (कक्ष)	राघवेंद्र राव रोड, पो.बा.सं.15, नागपुर-440001	महाराष्ट्र के अकोला, अमरावती, भंडारा, बुलढ़ाणा, चंद्रपुर, गडचिरोली, नागपुर, वर्धा, यवतमाल	0712-2541935	0712-2536756	fednagpur@rbi.org.in
श्रीनगर (कक्ष)	इक्बाक पार्क के सामने , एयरपोर्ट रोड, श्रीनगर-190008	कश्मीर वैली/क्षेत्र (जम्मू और कश्मिर के जिले)	0194-2313848	0194-231347	-

टिप्पणी - नागपुर और श्रीनगर में विदेशी मुद्रा कक्ष केवल विदेश यात्रा और फुटकर प्रेषणों से संबंधित मामलों पर कार्रवाई करता है । अन्य सभी मामलों पर मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय और जम्मू क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा कार्रवाई की जाती है ।

कार्य

विदेशी मुद्रा लेनदेनों का कार्य संचालन

जबकि फेमा 1999 के तहत विदेशी मुद्रा लेनदेनों की प्रक्रिया सरलीकृत की गयी है और प्राधिकृत व्यक्तियों को अधिकार प्रदान किये गये हैं अत: जहां तक नागरिकों का संबंध है, विदेशी मुद्रा विभाग की भूमिका न्यूनतम रही है । भारत में निवासी व्यक्तियों को अपनी विदेशी मुद्रा आवश्यकताएं पूरी करने के लिए सीधे प्राधिकृत व्यक्तियों से संपर्क करना है । प्राधिकृत व्यक्तियों को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित चालू खाता विनियमावली और रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित पूंजीगत लेखा विनियमावली के जरिये समय -समय पर दिशा-निर्देश दिये गये हैं ।

निवासी व्यक्ति उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत अनुमत पूंजीगत और चालू खाता प्रेषण अथवा दोनों का सम्मिलन भी कर सकते हैं । योजना के तहत यह सुविधा विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियमावली, 2000 की सारणी ।।। में यथा वर्णित निजी यात्रा, व्यवसाय यात्रा, अध्ययन, चिकित्सा इलाज, आदि के लिए पहले से ही उपलब्ध सुविधा के अतिरिक्त है ।

आम आदमी की जरुरतों के संबंध में रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग की एक सीमित भूमिका है क्योंकि यह विभाग अब केवल उन आवेदनों पर कार्रवाई करता है जिन्हें विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियमावली और (पूंजीगत लेखा लेनदेन) विनियमावली के तहत रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन आवश्यक है ।

फेमा उल्लंघनों के लिए कंपाउंडिंग प्राधिकारी

कंपाउंडिंग प्राधिकारी के रुप में, रिज़र्व बैंक ने फरवरी 2005 से फेमा के तहत उल्लंघनों के कंपाउंडिंग के लिए एक प्रक्रिया अपनायी है । इस प्रक्रिया में संबंधित तथ्यों और सहायक दस्तावेजों के साथ रु.5,000 के निर्धारित शुल्क के साथ कंपाउंडिंग के लिए रिज़र्व बैंक को आवेदन करना है । रिज़र्व बैंक आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 180 दिनों के भीतर आवेदनों का निपटान करता है ।

आवेदनों के निपटान के लिए समय सीमा

रिज़र्व बैंक का विदेशी मुद्रा विभाग प्राप्त आवेदनों का निपटान एक निर्धारित समय सीमा के भीतर करने के लिए बाध्य है । विभिन्न आवेदनों के निपटान के लिए समय सीमा निम्नानुसार है :

आवेदन का प्रकार

	आवेदन के लिए कार्यदिवस	निपटान के अधिकतम
	केंद्रीय कार्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय
भारत में विदेशी निवेश		
अग्रिम प्रेषण की धन- वापसी	-	3
शेयरों का अंतरण(भा.रि.बैंक का पूर्वानुमोदन आवश्यक)	30	-
रिकार्ड पर लिये जानेवाले एफसी-जीपीआर	-	30
शेयरों को गिरवी रखना	20	-
युनिक पहचान संख्या(युआइएन) का आबंटन	-	3
शाखा / संपर्क कार्यालय के लिए लाइसेंस जारी करना	10	-
विदेश में भारतीय निवेश		
समुद्रपारीय संयुक्त उद्यमों और पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में निवेश(स्च-चालित मार्ग के तहत न आनेवाली)	25	-
समुद्रपारीय संयुक्त उद्यमों/सहायक संस्थाओं में शेयरों का विनिवेश	15	-
युनिक पहचान संख्या(युआइएन) का आबंटन	15	-
निर्यात		
निर्यातों के लिए जीआर फॉर्म औपचारिकताओं से छूट के लिए अनुमति	-	3
समंजन/बट्टे खाते डालना	-	3
एशायाई समाशोधन संघ व्यवस्था के बाहर प्राप्य/देय निर्यात	-	2
अग्रिम की धन वापसी/ रोक रखना	-	3
आयात		
प्रत्यक्ष आयात	-	3
तीसरा देश/ मर्चेंटिंग ट्रेड/भंडारण	-	3

एशियाई समाशोधन संघ व्यवस्था के बाहर प्राप्य/देय आयात	-	2
चालू खाता लेनदेन(सीएटी) नियमावली की सारणी ।।। के तहत आनेवाली मद- निर्धारित सीमा से अधिक विदेशी मुद्रा जारी करना		
(i) यात्रा से संबंधित प्रयोजन	-	1
(ii) यात्रेतर से संबंधित प्रयोजन	-	2
अन्य		
मुद्रा परिवर्तक को लाइसेंस जारी करना /लांसेसं का नवीकरण	-	30
फेमा के उल्लंघन का कंपांउंडिंग	180 (कैलेण्डर दिवस)	180 (कैलेण्डर दिवस)

टिप्पणी: समय सीमा में आवेदन के प्रस्तुतीकरण की तारीख छोड़ दी गयी है और आवेदन सभी तरह से पूर्ण होने की शर्त के अधीन है ।

शिकायत निवारण

रिज़र्व बैंक का विदेशी मुद्रा विभाग प्राप्त आवेदनों का निपटान एक निर्धारित समय सीमा के भीतर करने के लिए बाध्य है । विभाग में प्राप्त आवेदनों के निपटान के लिए समय सीमा पिछले खंड में दी गयी है ।

नागरिक अपनी शिकायतों के निवारण के लिए रिज़र्व बैंक के **शिकायत निवारण कक्षों** से संपर्क कर सकते हैं । रिज़र्व बैंक के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में शिकायत निवारण कक्षों की स्थापना की गयी है और ये कक्ष संबंधित कार्यालय के क्षेत्रीय निदेशक/प्रभारी अधिकारी के अंतर्गत कार्य करते हैं ।

केंद्रीय कार्यालय तथा विदेशी मुद्रा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों / कक्षों में शिकायत/सुझाव पेटियां रखी गयी हैं । आम जनता से आनेवाली शिकायतों में से उठाये गये व्यवस्था संबंधी मामलों के निपटान के लिए रिज़र्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय में ग्राहक सेवा विभाग कार्यरत है । ऐसे मामले इस पते पर प्रेषित किये जा सकते हैं :

मुख्य महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक
ग्राहक सेवा विभाग, अमर बिल्डिंग, पहली मंजिल

सर पी.एम.रोड, मुंबई 400001
टेलीफोन :022-22663000 फैक्स: 022-22631744/22630482

होमपेज पर " आम आदमी के लिए " लिंक के तहत रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर जाकर शिकायत ऑन-लाइन भी की जा सकती है ।
(http://www.rbi.org.in/commonman/English/Scripts/AgainstRBI.aspx)

बैंकों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए नागरिकों को बैंकिंग लोकपाल से संपर्क करना चाहिए । रिज़र्व बैंक ने 1995 में बैंकिंग लोकपाल योजना लागू की है । इस योजना की सीमा में आनेवाली शिकायतें होमपेज पर आम आदमी के लिए लिंक के तहत रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर जाकर ऑन-लाइन भी की जा सकती है ।

(http://www.rbi.org.in/commonman/English/Scripts/AgainstRBI.aspx)

सूचना प्रसारण

विदेशी मुद्रा मामलों पर दिशा-निर्देश

रिज़र्व बैंक द्वारा जारी सभी विनयम और परिपत्र रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in)पर रखे गये हैं । होमपेज पर अधिसूचना के तहत फेमा खंड में जानकारी निम्नवत् दी गयी है :

1. अधिसूचनाएं
2. ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र
3. अक्सर पूछे जानेवाले प्रश्न (एफएक्यू) (होमपेज पर अलग लिंक के जरिये भी उपलब्ध हैं)
4. फॉर्म
5. विदेशी संस्थागत निवेशकों की सूची
6. प्राधिकृत व्यापारियों की सूची
7. संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों की सूची
8. लाइसेंस रद्द किये गये संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों की सूची
9. मुद्रा अंतरण सेवा योजना
10. इलेक्ट्रनिक रिपोर्टिंग सिस्टम

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित नौ विषयों पर मास्टर परिपत्र वेबसाइट के अधिसूचना खंड के मास्टर परिपत्र उप-खंड में उपलब्ध हैं ।

#	विषय
1	विदेश में संयुक्त उद्यम(जेवी)/पूर्णत: स्वामित्ववाली सहायक संस्था (डब्ल्यू ओएस) में निवासियों द्वारा प्रत्यक्ष निवेश
2	भारत में विदेशी निवेश
3	अनिवासी सामान्य रुपया खाता(एनआरओ)
4	अनिवासी भारतीयों /भारतीय मूल के व्यक्तियों /विदेशी राष्ट्रीकों के लिए प्रेषण सुविधाएं
5	भारत से विविध प्रेषण-निवासियों के लिए सुविधाएं
6	जोखिम प्रबंध और अंतर-बैंक लेनदेन
7	बाह्य वाणिज्यिक उधार और व्यापारिक उधार
8	माल और सेवाओं का आयात
9	माल और सेवाओं का निर्यात

मास्टर परिपत्र , किसी विषय पर समय-समय पर जारी विनियमों का समेकन हैं। उन्हें प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को अद्यतन किया जाता है और रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर डाला जाता है ।

विदेशी मुद्रा विभाग द्वारा समय -समय पर जारी अधिसूचनाओं /ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्रों के जरिये फेमा, 1999 के तहत जारी नियमों/विनियमों में संशोधन अधिसूचित किये जाते हैं । परिपत्र जारी किये जाने के तुरंत बाद रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (URL:www.rbi.org.in/scripts/Fema.aspx) डाल दिये जाते हैं । आम जनता के लिए ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्रों की मुद्रित प्रतियां निम्नलिखित पते पर उपलब्ध हैं -

निदेशक
आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग
रिपोर्टस् प्रभाग, समीक्षा और प्रकाशन (बिक्री अनुभाग)
भारतीय रिज़र्व बैंक
अमर बिल्डिंग, 6 ठी मंजिल
सर पी.एम. रोड, मुबई -400001

ये परिपत्र क्षेत्रीय कार्यालयों/ कक्षों में भी उपलब्ध हैं ।